न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 59/2017

अनवान :

हुंकारसिंह पुत्र श्री महीपतसिंह जाति जाट निवासी भैरूछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते रिकार्ड दुरूस्त करने
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : प्रार्थी
पेरोकार राज – **अप्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 07·08·2019

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है चक 4 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 159/153 में कुल 2.024 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी ओंकार के नाम 1/10 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 4 जेएसएल के खाता सं0 38/35 की कुल 30.692 है0 नहरी कृषि भूमि में ओंकार के नाम से 1/42 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। लिपिकिय भूलवंश प्रार्थी का नाम दोनों खातों में हुंकारसिंह की जगह ओंकार दर्ज हो गया। प्रार्थी का वास्तविक नाम हुंकारसिंह है।

प्रार्थी का नाम ओंकार रहने से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेने व राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि पर मिलने वाले अनुदान से वंचित हो जावेगा तथा वह बैंकों से बनने वाले किसान कार्ड से भी वंचित हो जावेगा।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

बहस सुनी गई।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यु व 4 जेएसएसल के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि लिपिकिय भूलवंश प्रार्थी का नाम दोनों खातों में हुंकारसिंह की जगह औंकारसिंह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम हुंकारसिह है जिसके समर्थन में प्रार्थी ने चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 6ए, चित्रप्रति वोटर आईडी कार्ड प्रदर्श 7ए, चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड प्रदर्श 8ए, चित्रप्रति बैंक पास बुक प्रदर्श 9ए, चित्रप्रति अंक तालिका प्रदर्श 10ए चित्रप्रति वोटर लिस्ट पेश किये है जिसमें प्रार्थी का नाम हुंकारसिंह वल्द महीपत दर्ज है। पटवारी हल्का

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ)

छानीबडी ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम औंकार के स्थान पर हुंकारसिंह किया जाना उचित बताया है, इसके अलावा सरपंच ग्राम पंचायत गढीछानी ने प्रदर्श 3 में हुंकारसिंह व औंकार एक ही व्यक्ति के दो नाम होना व वास्तविक नाम हुंकारसिंह होना अंकित किया है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि चक 4 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 159/153 में कुल 2.024 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, इसी प्रकार चक 4 जेएसएल के खाता सं0 38/35 की कुल 30.692 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम **औंकार पुत्र महीमत** दर्ज है में औंकर के स्थान पर **औंकार उर्फ हुंकारसिंह पुत्र महीपत** दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ